




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

सुभाष चन्द्र मस्तो वगैरह बनाम अजित कुमार मस्तो वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....176.. / 2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी सीनाराव के अप्राथमिकी सं०-16/17 दिनांक-13/12/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>मल्ल खेत में भैंस दुखाने को लेकर उभय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 19/01/18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p style="margin-top: 20px; text-align: center;"><u>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष अनुपस्थित / दिनांक 12-02-18 को है</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  19/1/18 </div>	

19-01-18

21-12-18

कारगलेख अपरबाधित । प्रथम
पत्र अधिवक्ता हाजरी दिनांक पर
अपीयता उक्त वाद में 6(6) माह
की आवधि पूर्ण है उक्ती है अर्थात्
वाद कालबाधि ही जाया है
अतः वाद में कारगलेख की कारवाही
बन्द की जाती है


21/12/18